A&C department, SDMC. New website www.mcdonline.nic.in

अनुलग्नक / द.दि.न.नि. / 2021-22 ANNEXURE/SDMC/2021-22



सम्पत्ति का प्रकार A. Type of Property

A. Type of Ploper	LY				
रिहायशी प्लॉटिड Residential-Plotted	औद्योगिक Industrial	शैक्षणिक संस्थायें Educational Institutions		मनोरंजन और खेलकूद प्रयोजन Recreational and Sports Purposes	
रिहायशी को—ऑप. ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी (सीजीएचएस) Residential Co-Op. Group Housing Society (CGHS)		मेडिकल संस्थायें Medical Institutions	खेती Agricultural	खतरनाक भवन Hazardous Buildings	डिस्ट्रीक्ट सेन्टर, मेट्रोपोलिटन सिटी सेन्टर और गैर– श्रेणीबद्व व्यवसाय सेन्टर, मॉल्स District Centre, Metropolitan City Centres & Non- Hierarchical Commercial Centres Malls
रिहायशी—डीडीए फ्लैट Residential—DDA Flats		धार्मिक संस्थायें Religious Institutions	फार्महाउस FarmHouse	जन धर्मार्थ उपधारा 115(1)(iv) Public Charity (Section 115(1)(iv)	अन्य गैर–रिहायशी अन्य व्यावसयिक प्रयोजन Other Non-residential/Other Commercial Purposes
गेस्ट हाउस / लॉज / सराय / पेईंग गेस्ट (पीजी) हाउस Guest Houses/Lodges/ Inns/Paying Guest (PG) Houses	बारातघर, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी हॉल, बेंकट हॉल, एसेम्बली हॉल Baratghars, Auditorium, Exhibition Halls, Banquet Halls, Assembly Halls	होटल, मोटल और रेस्टोरेन्ट जिसमें बार सुविधा हो Hotels, Motels and Restaurants having Bar facilities	कोचिंग सेन्टर Coaching Centres	सभी गैररिहायशी इकाइयां जैसे कार्यालय / दुकान / शोरूम जो 150 वर्ग मी. या उससे अधिक क्षेत्र में हो, गोदाम जहां से सामान बेचा जाता हो All Shops/Offices & other Non-residential units Showrooms having Covered Area of 150 sq. mtrs. & above (including Warehouses from where goods are sold)	गैर-सरकारी अस्पताल (भारत सरकार, दिल्ली सरकार, दि.न.नि. द्वारा चलाए जाने वालों के अतिरिक्त) Non-Govt. Hospitals (other than those run by GOI, GNCTD, Municipal Corporation)
होर्डिंग्स / विज्ञापन टावर Hoardings/ Advertisements/Towers	কলের Clubs	रेस्टोरेन्ट बिना बार सुक्धिा के Restaurants without Bar facilities	पी वी आर, मल्टीप्लेस सिनेमा हॉल PVRs, Multiplexes, Cinema Halls	टेलीकॉम टावर Telecom Towers	पेट्रोल पम्प∕सी एन जी स्टेशन Petrol Pumps/CNG Stations
गैर सरकारी स्कूल (उनके अलावा जो भारत सरकार दिल्ली सरकार, नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे हो) Non-Govt. Schools (other than those run by GOI, GNCTD, Municipal Corporations	ब्यूटी सैलून, पार्लर, स्पा, जिम, हैल्थ क्लब, योगा सेन्टर Beauty Saloons/Parlour, Spa, gyms, Health Clubs, Yoga Centres	सरकारी कम्पनी, स्वा. निकाय, पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग (पी एस यू) संवैधानिक निगम / इकाई Govt. Company, Autonomous Body, Public Sector Undertaking (PSUs) Statutory Corporation/Body	विभाग / पी एस यू/ प्राधिकरण इत्यादि राज्य सरकार के Department/PSUs/ Authorities etc. of the State Governments	हवाई अड्डा और हवाई अड्डा सम्पत्तियाँ Airports and Airports Properties	यूनियन (संघ) सम्पत्तियाँ (उपधारा 119 दिल्ली नगर निगम अधिनियम) Union Properties (Section 119 of DMC Act)

जनता फ्लैट :- जनता फ्लैट केवल सम्पत्ति के प्रकार के लिए लागू होगा = डीडीए रिहायशी और रिहायशी ग्रुप हाऊसिंग। यदि सम्पत्ति एक जनता फ्लैट है तो नीचे दी गई श्रेणी में लागू होगी जिस क्षेत्र में स्थित है।

B. JANTA FLATS : Janta Flat will be applicable only for Type of Property = Residential DDA and Residential Group Housing. If the property is a Janta Flat then the following Categories will be applicable (as mentioned below) depending on the zone in which the Janta Flat is located.

क्षेत्र जिसमें जनता फ्लैट स्थित हैं	श्रेणी	इकाई क्षेत्र मूल्य (रु.)		
Zone in which Janta Flat is Located	Category	Unit Area Value (Rs.)		
दक्षिण और मध्य क्षेत्र	र्घ	270		
South and Central Zone	E	270		
पश्चिम और नजफगढ	एफ	230		
West and Najafgarh	F	230		

स्वामी का प्रकार C. Type of Owner

एकल स्वामी Single Owner	साझेदारी फर्म Partnership Firm	संघ (भारत सरकार / संघ राज्य) निजी संघटीय व्यक्तित्व शामिल न हो Union (GOI/UT) excluding any entity having its own corporate personality	राज्य सरकार जिसमें निजी संघटीय व्यक्तित्व शामिल न हो State Govt. excluding any entity having its own corporate personality	सरकारी कम्पनियाँ / निगम / संवैधानिक इकाई / स्वायत्त इकाई जिनका अपना निगम व्यक्तित्व हो Govt. Companies/ Corporation/Statutory Body/ Autonomous Body/Entities having its own corporate personality
संयुक्त स्वामी	स्वायित्व फर्म	सरकारी अस्तित्व	कम्पनी—प्राईवेट लिमिटेड	कम्पनी—पब्लिक लिमिटेड
Joint Owner	Proprietorship Firm	Government Entity	Company-Private LTD.	Company Public Ltd.
धर्मार्थ	एन <mark>जी</mark> ओ	पी एस यू	हिन्दू संयुक्त परिवार	अन्य
Trust	NGO	PSUs	HUF-Hindu Undivided Family	Others

इकाई क्षेत्र मूल्य अपनी कॉलोनी की श्रेणी को ढूंढने के संदर्भ में कर निर्देशिका

D. UNIT AREA VALUES Refer to the Help/Tax Guide to find out the Category of your Colony

श्रेणी	۲ ر	बी	सी	डी	শ্ব	एफ	जी	एच
Category	A	В	С	D	E	F	G	н
इकाई क्षेत्र मूल्य (रुपये प्रति वर्ग मी. में) Unit Area Values : (in Rs. per Sq. metre)	630	500	400	320	270	230	200	100

कर की दरें अपनी कॉलोनी की श्रेणी को ढूंढने के लिए सहायक कर निर्देशिका

E. Rate of Taxes Refer to the Help/Tax Guide to find out the Category of your Colony

	श्रेणी Category		बी B	सी C	डी D	াঁহ্য E	एफ F	जी G	एच H
1.	रिहायशी कर की दरें (%) Residential Rate of Tax (%)	12	12	11	11	11	7	7	7
2.	विशेष वाणिज्यिक / गैररिहायशी सम्पत्तियां जैसा नीचे दी गई तालिका में) Special Commercial/Non-Residential Properties i.e. (as Listed below the table)*Note	20	20	20	20	20	20	20	20
3.	विशेष वाणिज्यिक / गैर-रिहायशी (उनके अलावा जो (2) में दिया गया है-गेस्ट हाऊस, कम्पनी गैस्ट हाउस सहितसराय, लांज, पेईंग गेस्ट (पी जी) हाऊस, रेस्टोरेन्ट (जिनमें बार सुविधा न हो) Special Commercial/Non-Residential (other than those at (2) above i.e. Guest Houses, including company Guest Houses Inns, Lodges, Paying-Guest (PG) Houses, Restaurants (other than those with bar facilities)	15	15	15	15	15	15	15	15
4.	वाणिज्यिक / गैर-रिहायशी सम्पत्तियां (जो उपरोक्त 2 और 3 मे शामिल नहीं हैं। 150 व.मी. आच्छादित क्षेत्र से कम के डाक्टर-क्लीनिक व सभी औद्योगिक सम्पत्तियां श्रेणी-जी में शामिल) Commercial/Non-Residential Properties (other than those not included in 2 & 3 above) including Doctors' Clinics below covered area of 150 Sqm. and all Industrial Properties coming under Category- G.	15	15	12	12	12	10	10	10

5.	सरकारी कम्पनी, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर जिम्मा/संवैधानिक निगम सम्पत्तियां इत्यादि राज्य सरकारों के विभाग/पी एस यू/प्राधिकरण इत्यादि सहित Govt. Company Autonomous Bodies, Statutory Authorities Public Sector Undertakings (PSUs), including Departments/PSUs/Authorities, etc. of the State Governments Or Govt. of NCT of Delhi and statutory Educational Institution								
	रिहायशी	2 	10						<u> </u>
(i)	Residential	15	15	15	15	15	15	15	15
	गैर–-रिहायशी								
(ii)	Non-Residential	20	20	20	20	20	20	20	20
	 Union and Indian Railway properties (Constructed before 26-1-1950) 	20	20	20	20	20	20	20	20
	 Union and Indian Railway properties (Constructed after 26-1-1950) for calculation of Service charge as per para 9. (ii) below; 	20	20	20	20	20	20	20	20
6.	हवाई अड्डा और हवाई अड्डा सम्पत्तियां Airports and Airports Properties :								
(i)	भूमि निर्मित आच्छाादित क्षेत्र Land Covered with Built-up Area and towers & hoardings;	20	20	20	20	20	20	20	20
(ii)	एयरक्राफ्ट चलने के लिए खुला क्षेत्र (रनवे, टैक्सीवे, ऐप्रोन, एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैण्ड) Open Area for Aircraft Movement (Runway, Taxiway, Apron, Aircraft Parking Stands)	15	15	15	15	15	15	15	15
(iii)	(ii) के अलावा खुला क्षेत्र Open Area other than (ii) above	6	6	6	6	6	6	6	6
7.	Farm Houses : फार्महाऊस :								
(i)	रिहायशी Residential	20	20	20	20	20	20	20	20
(ii)	गैर–-रिहायशी Non-Residential	20	20	20	20	20	20	20	20
8.	सेवा शुल्क (उचित कर के प्रतिशत के रूप में)– दिल्ली नगर निगम (संशोधित) एक्ट 2003 घारा 115(1)(iv) के अंतर्गत सिर्फ धर्मार्थ एवं गरीबों को मुफ्त चिकित्सा एवं शिक्षा हेतु प्रयोग की गई छूट प्राप्त सम्पत्तियां जो निगम की सहमति से ग्रहित और प्रयोग की जा रही हों। Service charge as a percentage of Property Tax– Service Charges on properties exempted under Section 115(1)(iv) of DMC Act 2003 as amended, exclusively used and occupied with the approval of Corporation for public charity or medical relief to, or education of poor, free of charge;	राशि क 75% o	ा 75 प्रतिः fthe am	शत की दर	र से सेवा would h	प्रभार लग ave bee	ाया जायेग n payable	TI	रूप में देय perty tax

9	(i)	संघ और भारतीय रेल की सम्पत्तियां (खाली जमीन, टॉवर और होर्डिंग सहित) पर सेवा—कर की दर;	(अ) यदि सम्पत्ति किसी स्वीकृत कॉलोनी, अनाधिकृत नियमित कॉलोनी में स्थित है तो सवा–कर, सम्पत्ति–कर जो एक्ट की धारा 114 (डी और ई) के अनुसार देय होता, के 75 प्रतिशत के हिसाब से देय होगा।
	(i)	Service charges on properties including vacant lands, towers and hoardings of Union and Indian Railways.	 (a) If such a property is situated in any approved colony, unauthorised regularised colony, the service charges shall be levied @ 75% of the property tax that would have been payable on such properties; (a) यदि सम्पत्ति—कर (अ) के अलावा किसी अन्य कॉलोनी जैसे शहरीकृत गांव, ग्रामीण गांव या अनियमित कॉलोनी में स्थित है तो सेवा—कर, सम्पत्ति—कर जो एक्ट की धारा 114 (डी और ई) के अनुसार देय होता, के 50 प्रतिशत के हिसाब से देय होगा; (b) If such property is situated in a colony other than (a) above, including urbanised villages, rural villages, unauthorised colonies, the service charges shall be levied @ 50% of property tax that would have been payable on such properties.
_	0.1		

- नोट :- विशेष वाणिज्यिक/गैर-आवासीय सम्पत्तियां अर्थात होटल, मोटल, रेस्तरां (बार सुविधा सहित) व्यावयासिक क्षेत्रों में सभी संस्थानों जैसे जिला केन्द्र, व्यावसायिक केन्द्र एवं गैर-पदानुक्रम (सोपान), व्यावसायिक केन्द्रों (मास्टर प्लान-2021 के अनुसार) व्यावसायिक संस्थानों सहित मॉल, सभी दुकानें, कार्यालय तथा अन्य गैर-आवासीय इकाइयों के रूप में 150 वर्ग मीटर एवं इससे ऊपर (भण्डारगार / माल गोदाम सहित जहां माल / सामान की बिक्री होती है) नुकसानदायक भवन, पी वी आर, मल्टीप्लैक्स सिनेमा हॉल, अस्पताल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान (भारत सरकार, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को छोड़कर) विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थान (भारत सरकार, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को छोड़कर) विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थान (भारत सरकार, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को छोड़कर) विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थान (भारत सरकार, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को छोड़कर) वलब / बारातघर / प्रेक्षागृह / प्रदर्शनी (भारत सरकार, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को छोड़कर) वलब / बारातघर / प्रेक्षागृह / प्रदर्शनी हॉल, प्रदर्शनी व्यार्थ ते स्थान (भारत सरकार, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को छोड़कर) वलब / बारातघर / प्रेक्षागृह / प्रदर्शनी हॉल, प्रदर्शनी विंल, प्रदर्शनी विंत है वैत्तरे हॉल, ब्यूटी सैलून अथवा पार्लर, स्पा, जिम, स्वास्थ्य क्लब, योगा सेन्टर, कोचिंग सेन्टर, पेट्रोल पम्प, सी एन जी स्टेशन, तेल डिपो, बी.एस.ई.एस. और डी.टी.एल एवम् होर्डिंग्स / विज्ञापन, समस्त टावर, एवं होर्डिंग, विज्ञापन और समस्त टॉवर सम्पत्तियां सम्पत्तित हैं।
- *Note :- Special Commercial/Non-Residential Hotels, Motels, Restaurants (with bar facilities), all establishments in Commercial Areas like District Centres, Metropolitan City Centers and Non-heirarchical Commercial Centres (as per Master Plan-2021) including commercial establishments popularly known as Malls. All Shops, Offices and other Non-residential units, Showrooms having covered area of 150 Sqm. & above (including Warehouses from where goods are sold). Hazardous Buildings, PVRs, Multiplexes, Cinema Halls, Hospitals including medical & health institutions (other than those run by GOI, GNCTD, Municipal Corporations) Schools, Colledge and other educational institutions (other than those run by GOI, GNCTD, Municipal Corporations), Clubs/Baratghars/Auditoriums/Exhibition Halls, Banquet Halls, Exhibition art galleries, Beauty Saloons/Parlours, Spa, Gyms, Health Clubs, Yoga Centres, Coaching Centres, Petrol Pumps, CNG Stations, Oild Deptots, BSES & DTL properties, Hoardings/Advertisements and all Towers.

उम्र अवधि घटक

F. AGE FACTOR

क्र. सं. S. No.	निर्माण की अवधि Period of Construction	उम्र घटक Age Factor	क्र. सं. S. No.	निर्माण की अवधि Period of Construction	उम्र घटक Age Factor
1.	समाप्ति अवधि 31–3–1960 से पहले Completion period—Pre 31-03-1960	0.5	4.	1-4-1980 से 31-3-1990 1-4-1980 to 31-3-1990	0.8
2.	1-4-1960 से 31-3-1970 14-1960 to 313-1970	0.6	5.	1-4-1990 से 31-3-2000 1-4-1990 to 31-3-2000	0.9
3.	1-4-1970 से 31-3-1980 1-4-1970 to 31-3-1980	0.7	6.	1-4-2000 से आगे 1—4—2000 onwards	1.0

ढांचा घटक

G. Structure Factor

ढांचा प्रकार Structure Type	घटक Factor	विवरण Description
पक्का	1	वजन वहन करने वाली मजबूत छत वाले भवन
Pucca	1	Buildings with load bearing roof
अर्ध—पक्का	0.7	भवन साधारण छत के साथ जैसे टुकड़ी
Semi Pucca	0.7	Buildings with normal load bearing roof like tukri
कच्चा Kutcha	0.5 0.5	अस्थाई सामग्री से बनी दीवारों पर टिन शेड⁄एसबैस्टोस चादर की छत वाले भवन Buildings with temporary material for walls & roofs including Tin Sheds/Asbestos Sheet.

प्रयोग घटक सहायता के लिए/संदर्भ में प्रयोग घटक/प्रयोग घटक की परिभाषा के लिए कर-गाईड/निर्देशिका H. USE FACTOR Refer to the Help/Tax Guide for the Definition of the Use Factors

घटक पहचान Factor ID	सम्पत्ति का प्रयोग Use of Property	प्रयोग घटक Use Factor	घटक पहचान Factor ID	सम्पत्ति का प्रयोग Use of Property	प्रयोग घटक Use Facto
1	रिहायशी Residential	1		वाणिज्यिक – दुकानें, गोदाम, एस.टी.डी. बूथ, थोक– व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि	
2	व्यापार – खंय कब्जाधारी/किराएदारी Business–Self Occupied/Tenanted	4	पहचान Factor IDवाणिजियक व्यापारी, ट्र 2222वाणिजियक व्यापारी, ट्र Mercantile Wholesale23कॉलेज-स Colleges-23कॉलेज-स टolleges-24कॉलेज-स टolleges-25टolleges-26शैक्षणिक प रेशिक टd26शैक्षणिक प रेशिक टd27विश्वविद्यात प्रिक्षणिक प टd28पारंपारा तिश्वविद्यात दारा चला उ029पारंपारा तिश्वविद्यात दारा चला तिरंपारा दारा चला तिरंपारा तिरंपारा दारा चला तिरंपारा तिरंपारा तिरंपारा तेरे तिरंपारा तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे 	Mercantile – Shops, Warehouses, STD Booths, Wholesale Traders, Transporters, Cold Storage etc.	4
3	औद्योगिक – स्वय कब्जाधारी/किराएदारी Industrial—Self Occupied/Tenanted	3		कॉलेज–सरकारी	
4	सरकारी / सहायता प्राप्त / कॉलेज Govt/Govt. aided Schools/Colleges	1	23	Colleges-Govt.	1
5	होटल — 3 स्टार और ऊपर Hotels—3 Stars and above	10	24	कॉलेज — सरकारी सहायता प्राप्त Colleges—Getting UGC grants	2
6	टावर Towers	10		कॉलेज—धर्मार्थ	Tester-
7	होर्डिंग्स Hoardings	10	25	Colleges—Trust शैक्षणिक संस्थाएं — सरकारी	2
8	जन—प्रयोग Public Purpose	1	26	Educational Institutes-Govt.	1
9	जनसुविधाएं दूरसंचार टॉवर के अतिरिक्त Public Utility other than Telecom Tower धार्मिक संस्थाएं	2	27	शैक्षणिक संस्थाए – अन्य Educational Institutes –Other than Govt	3
10	Religious Institution दूरसंचार टॉवर	1	-	विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय (सरकारी)	
11	Telecommunication Tower व्यापार – खाली (3 महीने पश्चात् दी जाने वाली अवधिनुसार सूचना)	4		University/Deemed University (Govt.) विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय (गैर–सरकारी)	1
12	Business—Vacant (Periodical intimation after 3 months to be given) औद्योगिक — खाली (3 महीने पश्चात् दी जाने वाली	3	29	University/Deemed University (Non-Govt.) सरकारी / स्थानीय निकाय / ई.एस.आई. / सरकारी विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मेडिकल संस्थाएं	3
13	अवधिनुसार सूचना) Industrial—Vacant (Periodical intimation after 3 months to be given)	3	30	Govt. Deptt.	1
14	खतरनाक भवन Hazardous Buildings वर्कशॉप और ऑटो रिपेयर गैरेज	4		धर्मार्थ इकाइयां/धर्मार्थ सोसाइटी और व्यय रहित चलाए जाने वाली मेडिकल संस्थाएं और निजी क्लीनिक/जांच	
15	Workshops and Auto Repair Garages रेस्टोरेन्ट	3	21	केन्द्र / रेडियोलॉजी / निदानकारी लैब, निगम संस्थाएं Medical Institutions run by Charitable Bodies/Trust/	0
16	Restaurants होटल – 2 स्टार तक/मोटल	4	- 31	Societies & not for Profit and Pvt. Clinics, Pathological/	2
17	Hotels—upto 2 stars/Motels सराय	4		Radiology/Diagnostic Labs, Corporation Institution सरकारी मेडिकल संस्थाएं/सरकारी/स्थानीय निकाय/	
18 19	lnns गेस्ट हाउस /पेईन्ग गेस्ट हाउस / लॉज / इन	4		पार्लियामेंटकृत या राज्य विधानसभा या सरकारी मेडिकल संस्थान और एम्स के समान फीस वसूली वाली	
20	Guest Houses/Paying guest house/Lodges/Inn बैंकट हॉल / बारात घर Banquet Halls/Barat Ghar मनोरंजन केन्द्र–थिएटर, सिनेमा हॉल, एसेम्बली हॉल, सिटी हॉल, संग्रहालय, प्रदर्शनी हॉल, प्रेक्षागृह,	5	32	Medical Educational Institutions run by (Govt./ Local Body/created by Act of Parliament or State Legislature or those charging fee equivalent to that of	1
21	सिटी होल, संग्रहालय, प्रदेशना होल, प्रक्षागृह, तरनताल इत्यादि। खेलकृद केन्द्र–व्यायामशाला डान्स हॉल क्लब रूम स्वास्थ्य खेल–कद क्लब. गेंदबाजी स्थान, स्टेडियम, मनोरंजन प्लेघर बारातघर, इत्यादि Recreation Purpose–Theatres, Movie Halls, Assembly Halls, City Halls, Museums, Exhibition Halls, Auditorium, Swimming Pool etc. Sports Purpose–Gymnasium, Dance Halls,	4	33	Govt. Medical Institutions e.g. AIIMS) मेडिकल शैक्षणिक संस्थाएं / उपरोक्त 32 में नहीं आती परन्तु एम.सी.आई. / ए.आई.सी.टी.ई. / ए.आई.सी.वी.ई. और प्रतिव्यक्ति कर फीस वसूल नहीं करती) Medical Educational Institutions (not covered in 32 above but approved by MCI/AICTE/AICVE and not charging Capitation Fee)	2
	Sports Purpose – Gymnasium, Dance Hans, Club Rooms, Health and Sports Club, Bowling Alleys, Stadium, Recreation Piers etc.		34	मेडिकल शैक्षणिक संस्थाएं (32 और 33 की श्रेणी में नहीं हैं) Medical Educational Institutions (not covered by 32 & 33 above)	3

35	स्कूल – केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय एडिड स्कूल Schools run by (Centre/State)/Local Bodies/ aided school	14	37	खाली स्थान—प्रयोग में Vacant Land—in use	Relevant Use Factor संबंधित ⁄ उपयुक्त प्रयोग
36	स्कूल एवम् शिक्षण संस्थाएं– गैर सरकारी			7	घटक
A	Schools - Other than Govt. Cat. 'A' To 'F'	3		खाली स्थान – कोई प्रयोग नहीं	
в	Cat. 'G' & 'H'	1	38	Vacant Land-No Use	1

कब्जा घटक (एस-स्वयं का कब्जा, आर-किराए पर)

I. OCCUPANCY FACTOR (S-Self Occupied, R-Rented)

श्रेणी Category	प्रकार Type	घटक Factor	श्रेणी Category	प्रकार Type	घटक Factor
रिहायशी — स्वयं कब्जाधारी Residential—Self Occupied	एस S	1	सरकारी — रिहायशी स्वयं कब्जाधारी Govt.—Residential Self Occupied	एस s	1
रिहायशी — किराए पर Residential—Rented	आर B	2	सरकारी – रिहायशी किराए पर Govt.–Residential Rented	आर R	2
गैर–रिहायशी – स्वयं कब्जाधारी Non-Residential–Self Occupied	एस S	1	सरकारी — गैर–रिहायशी स्वयं कब्जाधारी Govt.—Non-Residential Self Occupied	एस s	1
गैर–रिहायशी – किराए पर Non-Residential – Rented	आर B	2	सरकारी – गैर–रिहायशी खयं रिहायशी Govt.–Non-Residential Rented	आर B	2

फ्लैट घटक

J. FLAT FACTOR

केवल डी.डी.ए. / सी.जी.एच.एस. और जहां 100 वर्ग मी. तक कुल आच्छादित क्षेत्र है पर लागू होगा (यथा—अनुदान आधार पर) Applicable only for DDA/CGHS Flats and where total covered area is upto 100 sq. metres (on pro-rata basis).

되군 Factor
0.9
0.9

फार्महाऊस

K. FARM HOUSE

फार्महाऊस जो निम्नलिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, उसके सामने दी गई श्रेणी से इकाई क्षेत्र मूल्य लेंगे। फार्महाऊसों को 2 घटकों में बांटा / रखा गया है जैसे खाली क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र।

Farm Houses which fall in the mentioned zones will have the Unit Area Value derived from the Category mentioned against it. Farm Houses are broken into 2 components i.e. Vacant land and the Built-up Area. Both have a different Categorization.

क्षेत्र जिसमें फार्म हाऊस स्थित है	निर्मित क्षेत्र के लिए श्रेणी	खाली क्षेत्र के लिए	
Zone in which Farm Houses is Located	Category for Built-up Area	Category for Vacant Land	
South and Central Zone	C	F	
दक्षिणी और मध्य क्षेत्र	सी	एफ	
West and Najafgarh	D	G	
पश्चिमी और नजफगढ़	डी	जी	

विमुक्त/छूट प्राप्त सम्पत्तियां

L. EXEMPTED PROPERTIES

S. No. क्र. स.	Description विवरण	Factor घटक	S. No. क्र. सं.	Description विवरण	Factor घटक
1.	कृषिक — उपधारा 115(1)(Ì) Agricultural—Sec. 115 (1)(i)	0	5.	अलग से कब्र या श्मशान भूमि के लिए भूमि और भवन उपधारा 115(1)(V) Land and Building exclusively used for burial/ cremation ground—Sec. 115 (1)(v)	0
खाली भूमि या गांव की आबादी में रिहायश के वि मूल मालिक या वारिस 200 वर्ग मी. तय आच्छा क्षेत्र का कब्जाधारी (यथा अनुपात)		6.	विरासत भूमि और भवन (ऐतिहासिक) उपधारा 115(1)(Vİ) Heritage lands and buildings—Sec. 115 (1)(vi)	0	
2.	Vacant land or building in village abadi occupied for residential purpose by any original owner or legal heir upto 200 Sq. mtrs. of covered space (on pro-rata basis)	0		लड़ाई में शहीदों की विधवा द्वारा स्वामित्व/ शौर्य पुरस्कार विजेता द्वारा स्थाई तौर पर स्वयं की रिहायश के लिए और कुछ भी हिस्सा किसी भी कारण से किराये पर न दिया हो उपधारा 115(1)(Vii)	7
3.	जनता के लिए अलग से पूजा स्थान उपधारा 115(1)(iii) Exclusively used for public worship— Sec. 115 (1)(iii)	0	_	Owned by war widow/Gallantry Award winner being permanently used for self-residence and no portion is let out for any purpose whatsoever— Sec. 115 (1)(vii)	0
4.	जन धर्मार्थ के लिए उपधारा 115(1)(iV) Used for Public Charity—Sec. 115 (1)(iv)	1		उपधारा 115(1)(Viii) के अनुसार निगम की भूमि और भवन Land and building of Corporation as per section— Sec. 115 (1)(viii)	0

M. Note :- The Annual Value is subject to variation on implementation of the recommendation of the MVC- IV Taxpayer would be liable to pay difference in tax on the revised Annual Value on such implementation.

N. Education Cess :- An education cess @ 1% of the Annual value of vacant land and covered space of building or part thereof would be payable as per schedule of taxes 2020-21.

धारा 115(1) के अन्तर्गत छूट :

Exemptions under Section 115(1) :

- (i) खाली भूमि और भवन (आवासीय घरों के अतिरिक्त) केवल कृषि उद्देश्यों के लिये जो उप-नियमों में लिखित दिशा-निर्देशों अनुसार उपयोग में हो।
- (i) Vacant lands and buildings (other than dwelling houses) exclusively used for agricultural purposes in accordance with the guidelines prescribed in the bye-laws.
- (ii) कोई भी खाली भूमि अथवा भवन जो किसी भी गांव आबादी में सम्मिलित है जो किसी मूल मालिक / पुराने किसान अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी(यों) द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए अधिगृहित (केवल स्व—उपयोग में एक रिहायशी सम्पत्ति), को सम्पत्ति कर के भुगतान से मुक्त रखा जाएगा।
- (ii) Any vacant land or building included in any village abadi, which is occupied for residential purpose by any original owner/old farmer or his legal heir, shall be exempted from payment of property tax (applicable) for one self occupied residential property only.
- (iii) खाली भूमि या भवन या उसका कोई भाग जो सार्वजनिक पूजा के उद्देश्य के लिये प्रयुक्त होता हो। टिप्पणी :- धारा 115(1) के खण्ड (iii) के उद्देश्य के लिये कोई खाली भूमि या भवन जहाँ किसी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या जो आवासीय उद्देश्य के लिये प्रयुक्त हो या वहां से कोई किराया या अन्य आय प्राप्त हो, को केवल सार्वजनिक पूजा के लिये प्रयुक्त नहीं समझा जायेगा तथा ऐसी खाली भूमि या भवन के भाग को कर-निर्धारण के पृथक इकाई के रूप में निर्धारित किया जायेगा।
- (iii) Vacant lands or buildings or portions thereof, exclusively used for the purposes of public worship.

Note :- For the purpose of clause (iii) of Section 115(1) no portion of any vacant land or building where any trade or business is carried on, or which is; used for residential purpose, or in respect of which any rent or income is derived, shall be deemed not to be exclusively used for public worship and such portion of such vacant land or building shall be assessed as separate unit of assessment.

(iv) खाली भूमि या भवन या उसका भाग जो निगम के अनुमोदन से केवल सार्वजनिक धर्माथ जैसा कि उप–नियमों में विनिर्दिष्ट है या गरीबों को निःशुल्क शिक्षा या चिकित्सा राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अधिगृहित तथा प्रयुक्त की गयी हो।

टिप्पणी :— ऐसी भूमि और भवन जिन्हें दिल्ली नगर निगम नियमावली की धारा 115(1) (iv) के अंतर्गत गृह—कर से छूट प्राप्त है, पर धारा 114 डी और ई में निर्धारित भवन या भूमि के गृह—कर का 75 प्रतिशत सेवा कर लगेगा।

(iv) Vacant land or buildings or portions, thereof, exclusively occupied and used, with the approval of the Corporation, for the purpose of public charity as may be specified in the bye-laws or for the purpose of medical relief to, or education of, the poor, free of charge.

Note :- Land and buildings exempted from payment of property tax U/s 115(1)(iv) of DMC Act, shall be levied Service Charge @ 75% of the amount that would have been payable as property tax for the covered space of such building or vacant land as referred to in Section 114 D&E.

- (v) खाली भूमि या भवन जो केवल कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी अन्य स्थान इस अधिनियम के अधीन भली—भांति पंजीकृत किसी मृतक के अंतिम संस्कार के लिये प्रयुक्त हो।
- (v) Vacant lands or buildings exclusively used for the purposes of public burial or as cremation ground, or any other place used for the disposal of the dead, duly registered under this Act.
- (vi) ऐसी ऐतिहासिक / विरासत भूमि या भवन जो विशेषतया निगम और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अधिसूचित हो।
- (vi) Such heritage lands or buildings as are specifically notified for exemption by the Corporation as also such premises as are so specified by the Archeological Survey of India.
- (vii) खाली भूमि और भवन जो केवल युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, रक्षा सेना, पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों में वीरता पुरस्कार विजेता तथा वे नागरिक जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक बहादुरी पुरस्कार सम्मिलित हैं, सरकार से उच्चतम क्रम से वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है, जो उक्त के खामित्व में है। बशर्ते कि उपयुक्त छट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे।
 - (क) सम्बन्धित परिसर खयम के कब्जे में हो और रिहायशी प्रयोग में हो और उसका कोई भी हिस्सा किराए या किसी भी प्रकार से नहीं दिया हो।
 - (ख) सम्बन्धित व्यक्ति के पास दिल्ली में एक से अधिक सम्पत्ति होने पर छूट केवल एक ही सम्पत्ति पर मिलेगी जिसमें वह स्थायी तौर पर रहता हो और सम्पत्ति द.दि.न.नि. के अधिकार क्षेत्र में हो।
 - (ग) कर-छूट का लाभ केवल सम्बन्धित व्यक्ति के जीवनकाल तक सीमित होगा। परन्तु यदि यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, तो यह छूट पुरस्कार विजेता की विधवा को मिलेगी।
- (vii) Vacant lands and buildings owned exclusively by war widows, gallantry award winners in Defence Forces, Police and Paramilitary Forces as also civilians who have received bravery awards of the highest order from the Government including Annual Bravery Awards given by the President.

Provided that the exemption shall be subject to the condition that :-

- (a) The premises in question is in selt-occupation for residential use and no portion thereof is let out for any purpose, whatsoever.
- (b) In case the person concerned has more than one property in Delhi, the exemption shall be applicable to only one property which is permanently used for self-residence in SDMC Area.
- (c) The benefit of exemption shall be limited to the time of the person concerned, except where the award has been granted posthumously, in which case the exemption will be granted to the window of the gallantry award winner.
- (viii) निगम में निहित या उसके अधीन खाली भूमि या भवन जो किराये या पट्टे पर नहीं दिये गये हैं और इनके सम्बंध में सम्पत्ति—कर, यदि उदगृहित किया गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निगम पर मुख्य रूप से उदगृहित होगा।
- (viii) Vacant lands and buildings owned by or vested in the Corporation but not leased out or rented out and in respect of which the property tax if levied, would under the provisions of this act, be leviable primarily on the Corporation.

धारा 177 के अन्तर्गत छूट :

Exemptions under Section 177 :

- (ix) पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा अन्य अर्ध-सैनिक बल के कर्मचारी और अधिकारी जो द.दि.न.नि. क्षेत्र के निवासी हैं और ड्युटी के दौरान मुठभेड में शहीद हो गये हों, के एक स्व–रिहायशी मकान पर सम्पत्ति–कर में पूरी छूट मिलेगी।
- (ix) Exemption in property tax on one self occupied residential house of the employees and officers (who are) residents of SDMC Area, martyred in encounter while on duty in police, C.I.S.F and Paramilitary forces.
- (x) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के किसी भी कर्मचारी और अधिकारी, जो ड्युटी के घण्टों के दौरान पूर्ण रूप से विकलांग हो गये हों, को स्वयम् के उपयोग में एक स्व-रिहायशी मकान पर सम्पत्ति–कर में पूरी छूट मिलेगी।
- (x) Exemption in property tax on one self occupied residential house of the employees and officers of the SDMC handicapped fully during duty hours;
- (xi) द.दि.न.नि. निवासी कोई भी खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेलों जैसे ओलम्पिक, राष्ट्रमण्डल और एशियाई खेलों में पदक जीता हो, को स्वयम् के उपयोग में एक रिहायशी मकान पर सम्पत्ति–कर में पूरी छूट मिलेगी।
- (xi) Exemption in property tax on one self occupied residential house of players residing in SDMC, who have won a medal/medals in the Internationals games such as Olympic, commonwealth and Asians Games.
- (xii) वीरता पुरस्कार विजेता की मृत्योपरांत उसकी विधवा को एक स्व–रिहायशी सम्पत्ति पर, समपत्ति–कर की छूट, दिल्ली नगर निगम (संज्ञोधित) एक्ट, 2003 की धारा 115(1)(vii) में दी गयी नियमों एवम शर्तों के आधार पर दी जायेगी।
- (xii) Exemption in payment of property tax for a residential self-occupied property of the widow of the personnel of armed forces of gallanpry award winner after the death of the gallantry awardee on the same terms and conditions as in Section 115(1) (vii).
- (xiii) मूल कृषि जमीन खामी को एक किसान होने के नाते तक ख–रिहायशी मकान पर कर में छूट दी जायेगी।
- (xiii) Exemption for one self occupied residential house of original agriculture land owner being the agriculturist. नोट :- <u>www.mcdonline.nic.in</u> के गेटवे के तहत 10,000 / - रुपये तक का सम्पत्ति-कर ऑनलाइन भरने वाले कर-दाताओं को धारा 114 बी और 123 बी(3) के अंतर्गत सभी छूट देने के उपरांत, 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रोत्साहन के रूप में दी जायेगी।

Note :- Additional rebate of 2% of the tax payable after all eligible rebates U / s 114B and 123B(3) or other-wise as incentive for the tax-payers filing the property tax returns online and making property tax payments online through the payment gateway provided on <u>www.mcdonline.nic.in</u> subject to maximum tax not exceeding Rs. 10,000/-.